कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण,
जिला -धमतरी
E-mail:- dhamtari.cssda@gmail.com PH.NO. 07722-232504

क्रमांक / 1176 / जि.पं. / CSSDA / 2020–21 धमतरी, दिनांक 02/12/2020

विज्ञापन

——00——

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के पत्र क्र./739/CSSDA/San._coun./2020 रायपुर दिनांक 13.11.2020 के निर्देशानुसार संकल्प (जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण) योजना के क्रियान्वयन हेतु काउंसिलिंग सेल की स्थापना किया जाना है इसके लिए 03 काउंसलर की आवश्यकता है। अहर्ताधारी इच्छुक आवेदक काउंसलर पद हेतु **दिनांक 21.12.2020 को सायं 05 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम** से निर्धारित प्रारूप में **जिला कौशल विकास प्राधिकरण, प्रथम तल जिला पंचायत धमतरी,** में आवेदन आमंत्रित किये जायेगें।

काउंसलर की अर्हता :–

1. न्यूनतम योग्यता किसी विषय/संकाय में स्नातक उपाधि।
2. एम.ए. (मनोविज्ञान/समाजशास्त्र)/मास्टर ऑफ सोशल वर्क/एम.बी.ए. उपाधिधारक को वरियता।
3. बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लेखित योग्यता होने पर प्रेरक/रोजगार सहायक/ग्राम सचिव इत्यादि की भी काउंसलर के रूप में चयन किया जा सकता है।

काउंसलर द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य :–

1. काउंसलिंग के दौरान राज्य एवं जिला के अंतर्गत पूर्व से उपलब्ध तथा भविष्य के संभावित रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों से हितग्राहियों को अवगत करावें तथा स्वरोजगार हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऋण तथा उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में संबंधित नोडल अधिकारियों का व्याख्यान/प्रस्तुतीकरण कराने जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
2. काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक हितग्राही की शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन किया जाना होगा।
3. काउंसलिंग में सम्मिलित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु काउंसलिंग के दौरान कौशल प्राषेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण उपरांत सफल युवाओं के व्याख्यान (सफलता की कहानी) की व्याख्या अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
4. काउंसलर को राज्य प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर काउंसिलिंग से संबंधित कार्यवाही ऑनलाईन किये जाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी, जिससे काउंसलर द्वारा काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी प्रविष्ट की जावेगी।
5. काउंसिलिंग का आयोजन जिला मुख्यालय में स्थित लाईवलीहुड कॉलेज के भवन में आयोजित किया जायेगा। काउंसिलिंग की प्रकिया निरंतर प्रत्येक दिवस संचालित की जायेगी।
6. लाईवलीहुड कॉलेज में काउंसिलिंग होन का समुचित प्रचार–प्रसार किया जाना।
7. काउंसिलिंग हेतु राज्य प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जाना।

काउंसलर को मानदेय का भुगतान :–

1. काउंसलर को मानदेय अधिकतम राशि रू. 750/– प्रति काउंसिलिंग दिवस की निर्धारित दर से किया जायेगा। (माह में अधिकतम 20 काउंसिलिंग दिवस का आयोजन किया जा सकता है।)
2. काउंसलर को उनके निर्धारित मानदेय का भुगतान निम्न आधार पर किया जाना है–
   - काउंसलर द्वारा काउंसिलिंग के समय तैयार किये गये प्रतिवेदन,
   - फोटोग्राफ्स तथा

काउंसलर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना :–

काउंसलर द्वारा युवाओं के काउंसिलिंग के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राचार्य/सहायक संचालक/सहायक परियोजना अधिकारी लाईवलीहुड कॉलेज को प्रस्तुत किया जाना होगा।

काउंसलर की कार्यावधि:–

- संकल्प परियोजना के कियान्वयन तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर।
- काउंसिलिंग के उपरांत हितग्राही का प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवर्तित होने के प्रतिशत (न्यूनतम 60 प्रतिशत) के आधार पर।
- प्रशिक्षण बैच के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के नियमित उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज के आधार पर।
- काउंसिलिंग के पश्चात प्रशिक्षण हेतु चयनित हितग्राहियों का बैच तैयार कर प्रशिक्षण हेतु टीबीएन एवं संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता में प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों की नियमित उपस्थिति के आधार पर काउंसलर का मूल्यांकन किया जावेगा।

आवदेन के प्रमुख दिशा–निर्देश :–

1. काउंसलर का चयन जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित साक्षात्कार समिति की अनुशंसा के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा।
2. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर का निर्णय सर्वमान्य होगा।
3. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
4. अपूर्ण व अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होंगे।
5. मानदेय के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता या राशि प्रदाय नहीं की जावेगी।
6. काउंसिलिंग सेल तक आने जाने हेतु किसी प्रकार का वाहन भत्ता देय नही होगा।
7. काउंसिलिंग हेतु राज्य प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना।
8. आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आप इस कार्य के लिए निर्धारित आवश्यक अर्हता रखते है और आप मानसिक रूप से तैयार है।
9. अर्हताधारी इच्छुक काउंसलर से दिनांक 21/12/2020 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में कार्यालय, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, प्रथम तल जिला पंचायत धमतरी में आवेदन आमंत्रित किये जायेगें। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगें।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला कौशल विकास प्राधिकरण
जिला–धमतरी

जिला काउंसिलिंग सेल, धमतरी हेतु काउंसलर पद हेतु आमंत्रित आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन–पत्र

स्व हस्ताक्षरित
फोटोग्राफ्स

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष,
जिला कौशल विकास प्राधिकरण
जिला धमतरी, (छ0ग0)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में):– ....
   (अंग्रेजी में):– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. जाति (सामान्य / अजजा / अजा / अपिव) ....
4. जन्म तिथि:–(अंको में) ....
   (शब्दों में) ....
5. पत्राचार का पता:– ....
   ....
   ....
6. स्थाई पूर्ण पता:– ....
   ....
   ....
7. मोबाईल नंबर:– ....
8. ई–मेल आई डी:– ....
9. शैक्षणिक योग्यता:–

स.क्र.	स्नातक			स्नातकोत्तर		
	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत्	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

10. काउंसलिंग क्षेत्र से संबंधित अनुभव :–

स.क्र.	05 वर्ष से अधिक (कब से कब तक)	03 वर्ष से अधिक (कब से कब तक)	02 वर्ष से अधिक (कब से कब तक)	रिमार्क

संलग्न :–

1. समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. समस्त अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

घोषणा–पत्र

मै घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान:– ....
दिनांक:–......................